AL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE N THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Birind (M.P.) Complaint or report made on Faddress of the Complainant. 210 Name, parentage, c. stc and address of accused 314010 SID 91114 2161 34 4800 Par 418 9 18 ONON -1012 - 51124 - 18181 The offence, complainant of, and date of, its alleged commission आरोप विनांक 24.3-17. मुका कि ऐसा करके आपने आबकारी अंें 9 1915 की घारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय राध अरित किया। कसा आपको जक्त अनराध क्रीकार है या प्रतिब्ह्ना घाइने हो। The plea of the accused and his examination (if any) - इत्रात्मान, विविधा अपस्ति। तिष्कृत करणे का विवेदात है। 214919

र्गाल दिनाक 12-4-17 un ridian)

01 शियक्त ।, ाक्ष आवळाहां व0 19 : र्ली धारा अ-1 (क) के अधीन दण्डनण अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पद्धार सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अयराध स्मीकार्य हाएना हारान

02 संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की खेळ्णपूर्वक खीकारोजित हैं आधार पर आधकारी अधिर 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोची को दोषी ठहरायः नग्हा है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अमिलंख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं है।

अभियुक्त को आव ार आधित राष्ट्र केंगे धारा ३४-१ (क) के तहत न्यामाल जुर र तक की अवधि ता की तज रवं रूपये \$200/ रहीं निर्मित्र कि रेक्स का कार्य केंग्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्य व पटाये जाने पर 27 दिवस का संजा सुनातामा जाता।

पाप्तश्रमा सम्पन्निः 20 म्यार्थः २५१० .

रा नानव उर्जात न्य स्तान ...

ा जेलंदा क्षेत्र वाद

du Viving